धान खरीदी के नाम पर किसानों से धोखा

13 जिलों में शुरू हुई प्रक्रिया पूरी तरह चरमराई : बीजेडी

भुवनेश्वर, (निप्र) : राज्य के 13 जिलों में धान खरीदी शुरू होने के सरकारी दावों के बीच, इस वर्ष पूरी खरीदी व्यवस्था पूरी तरह विफल और अस्त-व्यस्त हो चुकी है। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने आरोप लगाया है कि मौजूदा बीजेपी सरकार की धान खरीदी नीति किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि धोखा और छल में बदल गई है। बीजेडी का कहना है कि सरकार प्रति क्विंटल 800 रुपये इनपुट सब्सिडी देने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान धान बेचने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। मंगलवार को शंख भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपक्ष के उपनेता, विधायक एवं किसान प्रकोष्ठ के संयोजक प्रसन्न आचार्य तथा पार्टी के उपाध्यक्ष संजय कुमार दासबर्मा ने राज्य सरकार पर किसानों को निराश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेडी किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगा। प्रसन्न आचार्य ने कहा कि डबल इंजन विकास का नारा देने वाली सरकार इस साल धान खरीदी के मामले में पूरी तरह विफल रही है। राज्य की धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह ढह चुकी है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के सामने ओडिशा सरकार की आवाज कमजोर पड़ गई है और राज्य के किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है।

छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता, ओडिशा को नजरअंदाज

बीजेडी नेताओं ने केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हाल ही में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ को 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य दिया गया, जबकि ओडिशा के लिए यह लक्ष्य केवल 73 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। जबकि छत्तीसगढ़ आकार में छोटा राज्य है और ओडिशा की तुलना में कम धान उत्पादन करता है। इसके बावजूद ओडिशा के साथ यह भेदभाव राज्य के किसानों के साथ गंभीर अन्याय है। बीजेडी ने बताया कि धान खरीदी की जिम्मेदारी संभालने वाला ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस समय लगभग 18,886 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबा हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार से धान खरीदी मद में 8,121 करोड़ रुपये की राशि अब भी बकाया है, जिससे पूरी खरीदी प्रक्रिया और अधिक संकटग्रस्त हो गई है। धान खरीदी में देरी, अव्यवस्था और लक्ष्य में कटौती को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बीजद के इस आक्रामक रुख के बाद राज्य में धान खरीदी को लेकर राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म होने की संभावना है।

किसान को टोकन नहीं, सरकार से मिला नोटिस : बीजेडी

ओडिशा में धान खरीद को लेकर एक बार फिर सियासत और प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा किसानों का धान न खरीदे जाने और उल्टे कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस मुद्दे ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने सरकार के रुख को 'किसान-विरोधी' करार देते हुए जमकर निशाना साधा है। बीजेडी विधायक शारदा जेना ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की उपज धान नहीं खरीद रही है और तरह-तरह के बहाने बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो किसान धान बेचने के इच्छुक हैं, उन्हें टोकन तक नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण से भी वंचित रह गए हैं। शारदा जेना का कहना है कि राजस्व विभाग के पास किसानों से जुड़ा पूरा डेटा पहले से मौजूद है, ऐसे में आपूर्ति विभाग चाहें तो उसी जानकारी के आधार पर धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारु रूप से चला सकता है। उन्होंने मांग की कि सरकार मंडियों से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करे और बिना देरी के किसानों से धान की खरीद शुरू करे। इसी मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष ने भी राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार 'फर्जी किसानों' की बात कर रही है, तो फिर बटाईदार किसानों के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? ।

किसानों ने तहसील कार्यालय में किया प्रदर्शन

सानखेमुंडी, (निप्र) : सानखेमुंडी विकास एक्शन कमेटी ने धान मंडी में कटनी-छटनी बंद करने सहित किसानों से संबंधित कई मांगों को ले तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सबसे पहले हजारों की संख्या में किसान दोपहर में पाटपुर गांधी चौक से जुलूस के रूप में निकलकर तहसील कार्यालय के सामने पहुंचे। उनकी मांगों में रबी फसल के लिए मुफ्त बीज, खाद और कीटनाशक की व्यवस्था करने, मनरेगा में नाम परिवर्तन के निर्णय को वापस लेने, धान मंडियों में व्याप्त अनियमितताओं पर पूर्ण रोक लगाने जैसे कई मांगे शामिल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अतिरिक्त तहसीलदार दिलीप कुमार जेना को सौंपा।

सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दी कड़ी चेतावनी

भुवनेश्वर, (निप्र) : ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नव-नियुक्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की है और कोई भी अधिकारी यदि गलत रास्ते पर गया, तो उसे बक्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में सामने आए बारंग के अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पंडा के मामले का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को आईना दिखाया।

➡ अधिकारियों से ईमानदारी की अपील

उन्होंने कहा कि एक अतिरिक्त तहसीलदार के पास खटिया के नीचे छिपाकर रखे गए 75 लाख रुपये मिलना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि आजकल सरकारी अधिकारियों के पास से प्लॉट, नकदी और सोने के ढेर निकल रहे हैं, जो प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नए अधिकारियों से दो टूक कहा कि जो आज नई नियुक्ति पा रहे हैं, वे भ्रष्टाचार कर टीवी चैनलों और अखबारों की सुर्खियां न बनें। ईमानदारी से काम करें, वरना कार्रवाई तय है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में विजिलेंस तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

गायिका अर्पिता ने की उड़ीसा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर

भुवनेश्वर, (निप्र) : लोकप्रिय गायिका अर्पिता चौधरी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध ओड़िया प्लेबैक गायक ह्यूमन सागर की मृत्यु मामले से संबंधित अग्रिम जमानत की याचिका

ह्यूमन सागर मृत्यु मामला

दायर की है। सूत्रों के अनुसार, अर्पिता चौधरी ने सौमेश शत्पथी के साथ मिलकर अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, क्योंकि दोनों को ह्यूमन सागर की मां शेफाली सुना द्वारा दर्ज एफआईआर में नामित किया गया है, जिन्होंने उनके बेटे की मृत्यु के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। सूत्रों ने बताया कि यह याचिका गिरफ्तारी के डर से दायर की गई थी, क्योंकि इस मामले में कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि मृतक गायक की मां ने ह्यूमन सागर की मृत्यु के

कारणों की जांच के लिए एक आपराधिक जांच की मांग की थी। इस महीने की शुरुआत में शेफाली सुना ने कटक के मार्केट नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सौमेश शत्पथी, अर्पिता चौधरी और सात अन्य को आरोपी के रूप में नामित किया था। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत स्वाभाविक नहीं थी और आरोपियों पर उनके बेटे की सेहत बिगाड़ने और अंततः मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया। एफआईआर दर्ज करने में कई सप्ताह की देरी हुई थी, जिसे शेफाली सुना ने सार्वजनिक रूप से भावनात्मक तनाव और अपने बेटे की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए परिस्थितियों के कारण समझाया था। शिकायत के बाद, कमिश्नरेट पुलिस ने ह्यूमन सागर की मृत्यु मामले की फिर से जांच शुरू की और नए सिरे से जांच प्रक्रिया को शुरू किया। अधिकारियों के अनुसार, जांचकर्ताओं ने सभी नौ आरोपियों के वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू कर दी है और जांच प्रक्रिया के तहत कई वर्षों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी मांगा है।

बरगढ़ धनुजात्रा के दौरान हाथी की सवारी करते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी।

जटनी गोपीनाथ मंदिर में पुत्रदा एकादशी पर भव्य भजन समारोह आयोजित

जटनी, (निप्र) : जटनी श्रीगोपीनाथ मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पौष महीने की शुक्ल पक्ष (पुत्रदा एकादशी उपलक्ष में) मंगलवार को भव्य भजन समरौह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि गोपीनाथ मंदिर में प्रत्येक महीने शुक्लपक्ष की एकादशी को भव्य भजन समारौह का आयोजन किया जाता है। गोपीनाथ मंदिर कमिटी एवं श्रीश्याम परिवार द्वारा आयोजित उपरौक्त कार्यक्रम में समग्र गोपीनाथ मंदिर को सुगंधित तथा आकर्षनीय फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर मंगलवार शाम 7.30 बजे से रात्री साढ़े नौ बजे तक मंदिर प्रांगण में वैद्यनाथ धाम से पधारे प्रसिद्ध भजन गायक पारितोष एवं उनकी धर्मपत्नी मिनी जी ने भाव भरे भजन सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को खूब रिझाया। इस

भजन एवं प्रसाद सेवन कार्यक्रम में जटनी, खोर्दा, भुवनेश्वर सहित विभिन्न स्थानों के सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीश्याम परिवार सहित गोपीनाथ मंदिर कमिटी, जय शम्भू गोपेश्वर संघ, श्री गोपीनाथजी सेवा समिति सहित समाज के युवाओं ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया। भजन कार्यक्रम के बाद उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालु भक्तों ने भंडारा प्रसाद सेवन किया और प्रभु श्रीश्यामजी का आशीर्वाद लिया।

जन सुनवाई शिविर में मिली 70 शिकायतें

बालीगुड़ा, (निप्र) : तुमुड़ीबंध प्रखंड सभागृह में जिलास्तरीय संयुक्त जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलाधिकारी वेदभूषण, आरक्षी अधीक्षक हरिश बीसी, परियोजना निदेशक-सह-कार्यकारी अधिकारी शंभुनाथ नंदी, तुमुड़ीबंध ब्लॉक अध्यक्ष बसंती माझी सहित जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में कुल 70 शिकायतों की सुनवाई की गई।

दक्षिण पूर्व रेलवे, निविदा

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस), बोंडामुंडा, दक्षिण पूर्व रेलवे नीचे उल्लिखित कार्य के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं: **ई-निविदा सूचना सं.: टीआरएस-बीएनडीएम-06-2025-26; कार्य का विवरण:** 02 वर्षों की अवधि के लिए ईएलएस/ बोंडामुंडा में 3 फेज लोकोमोटिव के माइनर और मेजर शेड्यूल के दौरान रूफ माउंटेड कैब एसी यूनिट की मरम्मत और रखरखाव; **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 61,96,429.40; **बयाना राशि:** ₹ 1,24,000.00; **ई-निविदा बंद होने की तिथि और समय:** 21.01.2026 को 17:00 बजे; ई-निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध होगा। निविदा के विरुद्ध मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है, और प्राप्त ऐसे किसी भी मैनुअल प्रस्ताव को अनदेखा किया जाएगा। (PR-1014)

के नुआगांव ब्लॉक में विकास का महापड़ाव

पंचायत समिति की बैठक में गूंजे जनसमस्याओं के स्वर

बालीगुड़ा, (निप्र) : कंधमाल जिले के बालीगुड़ा अनुमंडल अंतर्गत के नुआगांव प्रखंड कार्यालय सभागृह में सोमवार को 11वीं पंचायत समिति की महत्वपूर्ण बैठक की गई। यह बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं रही, बल्कि जनसमस्याओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा मंच बनकर सामने आई। बैठक का सफल संचालन जीपीईओ स्मृति सागर प्रधान द्वारा किया गया। इसमें स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु विकास, पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी, पेयजल, स्वच्छता, मृदा संरक्षण, आपूर्ति, शिक्षा और परिवहन समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रखंड की 14 पंचायतों में व्याप्त बुनियादी समस्याओं, अधूरे विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को बैठक में मौजूद सभी सरपंचों और समिति सदस्यों ने खुलकर उठाया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के समक्ष पेयजल संकट, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, शिक्षा व्यवस्था और कृषि सुविधाओं से जुड़ी परेशानियों को रखते हुए तत्काल समाधान की मांग की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुलोचना दलबेहरा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चक्रमणि कहंर मौजूद रहे। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने का निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ शुभ्रांजलि प्रधान, जिला परिषद सदस्य अनिता मलिक, प्रखंड उपाध्यक्ष धवलेश्वर पात्र, सहायक कार्यकारी अभियंता शोभम महापात्र मंचासीन रहे। इसके अलावा सीएचसी प्रभारी डा प्रियव्रत पाणिग्राही, बीईओ प्रमोद कुमार मलिक, वन अधिकारी रमाकांति कहंर, रेंजर सुषांति कुमार बैशाखी, एपीओ त्रिनाथ नायक, सीडीपीओ सोनिया हेम्ब्रम सहित सभी कनिष्ठ अभियंता, पीईओ, सरपंच, समिति सदस्य और विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया कि के नुआगांव प्रखंड में विकास कार्यों को गति देने और जनसमस्याओं को गंभीरता से लेने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है।

पूर्व सालेपुर सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप कटक जिलाधिकारी ने जांच के दिए आदेश

कटक, (निप्र) : कटक जिले के सालेपुर ब्लॉक के बहुग्राम ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मिलीरानी बोस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान सरपंच राशमिता मलिक ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिसमें कई विकास कार्यों में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। यह मामला मंगलवार को कटक जिलाधिकारी के सार्वजनिक शिकायत निवारण शिविर के दौरान सामने आया। राशमिता मलिक ने बहुग्राम ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मिलीरानी बोस के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में मलिक ने आरोप लगाया कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में कई परियोजनाओं के लिए बिल जारी किए गए थे, लेकिन संबंधित कार्य या तो अधूरे थे या बिल्कुल भी नहीं किए गए

➡ अगर कोई अनियमितताएं पाई गई, तो दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : डीएम

थे। आरोपों के बारे में बताते हुए राशमिता मलिक ने कहा, कई बिल जारी किए गए थे, लेकिन कार्य जमीन पर नहीं हुआ। जब गांववाले मुझसे पांचायत पुस्तकालय के बारे में पूछने आए, तो मैंने रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि एक बिल तो जारी हुआ था, लेकिन पुस्तकालय कहीं नहीं है। इसी तरह, लोगों ने जटनी के पास सामुदायिक शौचालय की शिकायत की। इसके लिए भी एक बिल जारी किया गया था, लेकिन कार्य कभी नहीं हुआ। पहले मैंने बीडीओ से संपर्क किया, जिन्होंने जांच का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया। पूर्व सरपंच मिलीरानी बोस ने सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में सभी परियोजनाएं पूरी की गई थीं और वर्तमान सरपंच के कार्यकाल के दौरान जारी किए गए बिलों की भी जांच की जानी चाहिए। जिलाधिकारी दत्तात्रय भौसाहेब शिंदे ने इस शिकायत के संदर्भ में कहा जांच समिति का गठन किया गया है, जो आरोपों की जांच करेगी। यह पहली बार है जब एक ही कार्य को दो अलग-अलग योजनाओं के तहत दिखाया गया है। इस समिति में अतिरिक्त सीडीओ कार्यकारी अभियंता और जिला परियोजना प्रबंधक (आरजीएसए) शामिल होंगे।८

पंचायत स्तरीय जनसुनवाई शिविर का आयोजन

कोदला, (निप्र) : गंजाम जिले के बेगुनियापड़ा प्रखंड अंतर्गत फासी पंचायत परिसर में पंचायत स्तरीय संयुक्त जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 13 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से भत्ता, राशन कार्ड और आवास से संबंधित 11 शिकायतें तथा कम्युनिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी 2 शिकायतें शामिल थीं।

MCL महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

जागृति विहार, बुर्ला- 768020, जिला-संबलपुर, ओडिशा

दूरभाष (ईपीबीएक्स) : 0663-2542461 से 469, वेबसाइट : www.mahanadicoal.in

सूचना

सामानों, कार्यों एवं सेवाओं के क्रय हेतु सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जारी सभी निविदाएं कोल इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.coalindia.in**, संबंधित सहायक कंपनी (**एमसीएल, www.mahanadicoal.in**) सीआईएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://coalindiatenders.nic.in** एवं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://eprocure.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल **https://gem.gov.in** के माध्यम से भी ये क्रय उपलब्ध हैं। R-5279

कांग्रेस कमेटी ने कई मांगों को ले कार्यकारी अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

केंदुझर, (निप्र) : केंदुझर जिले के जोड़ा नगर कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जोड़ा शहर और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रमुख समस्याओं को उठाया गया है। मांगों में मुख्य रूप से बांशपाणि क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक समस्या का समाधान करने, कुमार जोड़ा से बांशपाणि तक फ्लाईओवर के विस्तार करने, कुमार जोड़ा स्थित तालाब के पुनरुद्धार, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बांशपाणि से स्टेशन तक सड़क निर्माण करने, नए बस स्टैंड का निर्माण करने, जर्जर हो चुके कुमार जोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, स्थायी परिवहन बाजार (परिवा/सब्जी बाजार) का निर्माण करने, सभी वार्डों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने, शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए

विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, धरणीधर चौक से पुराने थाना तक की सड़क को ट्रैफिक की दृष्टि से वन-वे किए जाने की व्यवस्था करने, सुना नदी के दोनों किनारों पर रिंग रोड निर्माण और पत्थर पैचिंग कार्य शुरू करने, जोड़ा शहर के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, शहर की स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, काला पहाड़ क्षेत्र में उत्कल गौरव मधुसूदन दास की प्रतिमा स्थापित करने जैसी मांगें शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने इन सभी मुद्दों पर शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो शहरवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर पूर्व सांसद यशवंत नारायण सिंह लागुरी, जोड़ नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रत कुमार नायक, जिला उपाध्यक्ष रूपरंजन पंडा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

प्रवासी पक्षी भितरकनिका पहुंचे

केंद्रापड़ा, (निप्र) : हिमालई क्षेत्र से प्रवासी पक्षियों ने केंद्रापड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के आर्द्रभूमि स्थलों में जत्थों में पहुंचना शुरू कर दिया है। भितरकनिका के आर्द्रभूमि क्षेत्र एक बार फिर ठंडे उत्तरी गोलार्ध से आने वाले पक्षियों के लिए एक अनुकूल और मानव हस्तक्षेप से मुक्त शीतकालीन आवास के रूप में उभरे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सर्दियों के महीनों में ठंडी जलवायु परिस्थितियां इन प्रवासी प्रजातियों को अपने मूल निवास स्थल को अस्थाई रूप से छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ओडिशा के चिल्का और भितरकनिका आर्द्रभूमि स्थल इन प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना है। अधिकारी के अनुसार, सर्दियों में आने वाले इन प्रवासी पक्षियों के विभिन्न जत्थों ने सतभैया, हवेलीखाती, एकाकुला और रायपतिया के जलस्रोतों और खाड़ियों में डेरा डालना शुरू कर दिया है। इन पक्षियों का आवास क्षेत्र लगभग दस किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस बार भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने वाले प्रमुख प्रवासी पक्षियों में इंडियन स्किमर्स, ग्रे पेलिकन, लेसर एडजुटेंट (गरूड़ प्रजाति का छोटा रूप) और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि यहां देखे गए इन पक्षियों को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की रेड बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है।

पूर्व तट रेलवे

विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए अदालत

पूर्व तट रेलवे, मुख्यालय, भुवनेश्वर विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति मामलों को संबोधित करने और निपटाने के लिए एक अदालत आयोजित करने जा रही है। यह कार्यक्रम मुख्यालय स्तर पर 19.01.2026 (सोमवार) को प्रातः 11.00 बजे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व तट रेलवे, द्वितीय मंजिल, साउथ ब्लॉक, रेल सदन, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751017 के कार्यालय में होगा।

मृतक, चिकित्सकीय रूप से अयोग्य या अवर्गीकृत कर्मचारियों के परिवार (जो केवल पूर्व तट रेलवे मुख्यालय, भुवनेश्वर में कार्यरत थे) से अनुरोध है कि वे विचाराधीन अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए आवेदन जमा करें। आवेदन, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को संबोधित करते हुए, **प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, रेल सदन, साउथ ब्लॉक, द्वितीय मंजिल, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर - 751017** के पते पर **5 जनवरी 2026** तक भेजे जाने चाहिए।

(1) आवेदक का नाम, (2) पूर्व कर्मचारी से संबंध, (3) उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, (4) जन्म तिथि, (5) अनुकंपा नियुक्ति के लिए पहले आवेदन की तारीख (प्रति संलग्न करें), (6) पूर्व कर्मचारी का विवरण, (7) शिकायत का विवरण।

आवेदकों को 19 जनवरी 2026 को आयोजित अदालत में अपने सभी संबंधित मूल दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों और निम्नलिखित विवरणों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:

(1) मृत्यु प्रमाण पत्र / चिकित्सकीय अयोग्यता या अवर्गीकृत प्रमाण पत्र, (2) यदि रेलवे कर्मचारी लापता हो तो FIR, (3) कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, (4) विस्तृत पारिवारिक संरचना, (5) रोजगार सहायता के लिए आवेदन, (6) उम्मीदवार की जन्म तिथि / शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, (7) निपटान पत्र, यदि उपलब्ध हो, (8) उम्मीदवार की प्रमाणित तस्वीरें (3 संख्यक), (9) गोद लिए गए पुत्र/पुत्री के मामले में वैध गोदनामा, (10) यदि छोटे भाई/बहन के पक्ष में आवेदन किया गया हो तो बड़े सदस्यों से अनापत्ति पत्र।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरणों के साथ सहायक दस्तावेज प्रदान करें और स्वयं या उचित प्राधिकरण के साथ किसी पारिवारिक प्रतिनिधि के माध्यम से अदालत में उपस्थित हों।

PR-952/Q/25-26 प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, भुवनेश्वर